न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 71/2020
पंजीयन दिनांक 30.09.2020

(1). लक्ष्मण देव पिता बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी नेतावल महाराज तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). खुमाण देव पिता बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी नेतावल महाराज तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). अजय देव पिता बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी नेतावल महाराज तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़।
(2). भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 21/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). रमेश दशोरा-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2

निर्णय दिनांक 17.11.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा नेतावल महाराज तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 214, 215, 777 एवं वादीगण अपीलांट्गण के विक्रय करने से आराजी सख्या 169, 171, 173, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 198, 216,

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

17, 771, 772, 773, 774, 775, 776 का रकबा 3.28 हैक्टेयर अन्य काश्तकारों के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई है। वादीगण अपीलांट्गण के वर्तमान भू-प्रबन्ध के बाद 13.78 हैक्टेयर कृषि भूमि ही दर्ज हुई है व 3.28 हैक्टेयर कृषि भूमि अन्य को विक्रय कर दी। वर्तमान मे वादीगण अपीलांट्गण की 1.77 हैक्टेयर कृषि भूमि बिलानाम दर्ज होकर सरकार की आरक्षित भूमि के रूप मे दर्ज कर दी गई है जिसकी वादीगण अपीलांट्गण पुनः घोषणा करा अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी है जिससे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक होने से वादीगण अपीलांट्गण की ओर से वादपत्र बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जा गया है। अन्त मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजी संख्या 215 रकबा 0.09 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 777 रकबा 1.68 हैक्टेयर को पुनः वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज किया जाकर तदनुसार वादीगण अपीलांट्गण का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित किये जाने व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैराकार सरकार ने उपस्थित होकर जवावदावा प्रस्तुत किया । उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई । साक्ष्य वादी मे वादीगण अपीलांट्गण , जयचन्द व कालू के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए व पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी मे पट्वारी हल्का नेतावल महाराज के बयान हुए व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 23.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट नेतावल महाराज मे रखी जाकर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव मे निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से अपीलांट्गण वादीगण ने म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मे वर्णित तथ्य व शपथ-पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रवक्ता अपीलांट्गण वादीगण ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण वादीगण ने भू-प्रबन्ध के दौरान जो रकबा कम अंकित हो गया उसी को दुरूस्त किये जाने का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसमे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्याायालय ने तनकीयात कायम कर, उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम विचाराधीन होकर परिपक्व पत्रावली थी व उक्त पत्रावली लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण वादीगण ने भू-प्रबन्ध के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। उभय पक्षकारान की ओर से बयान कराये गए व राज्य सरकार के निर्देशानुसार पत्रावली लोक अदालत मे नियत की गई जिसमे गुणावगुण के आधार पर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित नही होने से निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट्गण वादीगण की यह आपत्ति रही है कि लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र गुणावगुण के आधार पर निरस्त किया है । यदि गुणावगुण पर निर्णय कराये जाने हेतु पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है तो रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण भी सहमत है। व अपीलांट्गण वादीगण भी पत्रावली को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु सहमत है। उभय पक्षकारान के सहमति के रूप मे आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गए।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण वादीगण ने घोषण, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण ने लिखित जवाबदावा प्रस्तुत किया । उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्षकारान के लिखित बयान दर्ज किये गए व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत होकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु विचाराधीन थी । उक्त पत्रावली को उभय पक्षकारान को सूचित किये बगैर लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित नहीं होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अपील के दौरान उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान की सहमति से पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 21/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे कायम की गई तनकीयात का आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 19.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)